दूरभाष नं0–05278–245957
05278–246223
ई–मेल– rmlauregistrar@gmail.com

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक संख्याः लो०अ०वि० / शैक्ष० / 2020 / 1964 दिनांकः 16/12/2020

सेवा में,

प्रो./डॉ० अब्बास रज़ा नय्यर
उर्दू विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

विषयः डी०लिट्० / डी०एस–सी० उपाधि हेतु पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

आप द्वारा उर्दू विषय में डी०लिट्० / डी०एस–सी० उपाधि हेतु शोध कार्य करने के लिये प्रस्तुत शोध संक्षेपिका को शोध उपाधि समिति (आर०डी०सी०) की संस्तुति पर कुलपति महोदय द्वारा सहर्ष अनुमोदित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

शोध शीर्षकः "अवध में उर्दू अदब और तन्ज़ीब का तनक़ीदी जायज़ा"

शोध उपाधि समिति की संस्तुतिः संस्तुति

शोध उपाधि समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित निर्देशों में चिह्नांकित क्रम संख्या 1 का समयान्तर्गत पालन करें, ताकि तत्संबंधी अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. शोध कार्य हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 10,000/– पत्र निर्गत होने की तिथि के एक माह के अन्दर जमा करें। यदि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो शोध कार्य करने में आपकी अनिच्छा मानते हुए अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. यदि आपका इस विश्वविद्यालय में नामांकन नही है, तो पूर्व संस्थान / विश्वविद्यालय से माइग्रेशन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर पंजीकरण शुल्क जमा करने के पूर्व अनिवार्यतः नामांकन कराकर नामांकन संख्या शैक्षणिक अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. शोध उपाधि समिति द्वारा संशोधित शोध शीर्षक के अनुसार शोध संक्षेपिका में अपेक्षित संशोधनोपरान्त तीन प्रतियों में शोध संक्षेपिका पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करें, जिससे संशोधित शोध संक्षेपिका आगामी शोध उपाधि समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जा सके।
4. शोध प्रबन्ध जमा करने की न्यूनतम अवधि पंजीकरण की तिथि से तीन वर्ष होगी। पंजीकरण की तिथि का आगणन पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि से किया जायेगा।
5. पंजीकरण शुल्क जमा करने की तिथि से चार वर्ष के भीतर यदि शोध प्रबन्ध जमा नही होता है, तो एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु कुलसचिव कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में चार वर्ष का समय समाप्त होने के बाद पंजीकरण स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शोधार्थी की होगी।
6. आपका शोध पंजीकरण डी०लिट्० / डी०एस–सी० / एल०एल०डी० अध्यादेश में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत होगा, जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से किया जा सकता है।

उप–कुलसचिव (शैक्षणिक)